20.6.25

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही, उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 147/24 प्रा० पत्र

श्री उरजन s/o श्री उगमा गुर्जर निवासी- कीलपुरा तहसील- माण्डल (वगैरा)

–प्रार्थी

बनाम

श्री कल्याण s/o श्यामल गुर्जर निवासी- कीलपुरा तहसील- माण्डल (वगैरा)
[प्रतिवादित प्रा० पत्र संलग्न]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 20.8.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीलपुरा पटवार हल्का चमनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 24,25,41,75,81,90, 107,115, 92,94 कुल किता 10 रकबा 4.7550 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.5.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कीलपुरा पटवार हल्का चमनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 107,115,24,25,41,75,81,90,92,94 कुल किता 10 रकबा 4.7550 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी लिये भू–अभिलेख निरीक्षक बैरा को मौके व कब्जे जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को 0 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर की यथास्थिति को बनाये रखते हुए पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा